छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ भवन अधिवास नियम – 2004

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन अधिवास नियम, 2004

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2004

नियम 1 : संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ – (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भवन अधिवास नियम, 2004 कहलायेंगे (2) ये नियम दिनांक 1 अप्रैलए 2004 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 2 : परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(अ) ''भवन'' से अभिप्रेत है कि नई दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ भवन,

(ब) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भवन के आवासीय आयुक्त,

(स) कर्त्तव्य पर प्रवास से अभिप्रेत है–

(1) छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कार्य से या प्रशिक्षण पर प्रवास अथवा
(2) छत्तीसगढ़ विधानसभा या उसकी किसी समिति के कार्य से प्रवास अथवा
(3) छत्तीसगढ़ शासन के अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी आयोग, अभिकरण, विश्वविद्यालय, उपक्रम, निगम अथवा स्थानीय निकाय के कार्य से प्रवास।

(द) ''कक्ष'' से अभिप्रेत है भवन का कोई कक्ष या कोष्ठावली,

(इ) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन

नियम 3 : भवन में अधिवास की सामान्य व्यवस्था – भवन मूलतः छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री/मंत्री/ राज्यमंत्री/उपमंत्री, विधायकों एवं राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारियों के उपयोग के लिए है जब वे नई दिल्ली में कर्त्तव्य से प्रवास पर आये हो। भवन का उपयोग कक्ष उपलब्धता के अधीन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

नियम 4 : कर्त्तव्य पर प्रवास पर आये अतिथियों का अधिवास – (1) नई दिल्ली में कर्त्तव्य पर प्रवास पर आये अतिथियों को भवन में, परिशिष्ट – एक में दर्शाए अग्रताक्रम में, निःशुल्क अधिवास का अधिकार होगा। उच्च अग्रताक्रम के व्यक्ति को निम्न अग्रताक्रम के व्यक्ति की तुलना में अधिवास का प्रथम अधिकार होगा। एक ही अग्रताक्रम के व्यक्तियों को ''प्रथम आये प्रथम पाये'' सिद्धांत के आधार पर अधिवास का अधिकार होगा।

(2) आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह परिशिष्ट – एक के क्रमांक 1 से 11 तक किसी अतिथि को अधिवास उपलब्ध कराने के लिए अन्य अधिवासी से कक्ष खाली कराने के लिए कह सके।

(3) परिशिष्ट एक के सरल क्रमांक – 1 से 18 तक के अतिथियों तथा उनके स्टॉफ के राजपत्रित अधिकारियों को भवन के कक्षों में निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी। इन अतिथियों के स्टॉफ के अराजपत्रित कर्मचारियों को भवन में उनके लिए विशेष रूप से बनाये गये कमरों में, स्थान उपलब्धताके आधार पर, निःशुल्क ठहरने की पात्रता होगी।

(4) एक व्यक्ति को केवल एक कक्ष आंबटित किया जावेगा। आवश्यकतानुसार एक कक्ष में एक से अधिक अतिथि भी ठहराये जा सकते है।

(5) भवन में ठहरे किसी अतिथि के जाने के बाद उसके परिवार को कक्ष में 24 घंटे से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं रहेगी। इस अवधि के बाद उनसे परिशिष्ट – 3 में दर्शाई दरों से किराया लिया जावेगा एवं कक्ष खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(6) शासकीय अधिकारियों को भवन में अधिकतम 7 दिन तक ठहरने की पात्रता होगी, इससे अधिक की अवधि के अधिवास के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी।

नियम 5 : विशेष श्रेणी के अतिथियों का अधिवास – नियम 4 में उल्लेखित अतिथियों की मांग पूर्ति के उपरांत परिशिष्ट 2 में उल्लेखित अतिथियों को भवन में कक्ष उपलब्धता के अधीन, उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई शर्तो, निबंधों व शुल्कों की दरों के अनुसार अधिवास की पात्रता होगी।

नियम 6 : पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों के अधिकारियों का अधिवास – पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर अन्य प्रदेशों जिनसे आयुक्त का अनुबंध है, उसके तहत इन राज्यों के अधिकारियों को पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर भवन में ठहरने की अनुमति होगी। शुल्क के दरें परिशिष्ट – 3 अनुसार होगी।

नियम 7 : स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आये शासकीय अधिकारियों का अधिवास –

(1) राज्य शासन के ऐसे अधिकारीगण जो केन्द्र शासन अथवा दिल्ली प्रवास में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर जाते है और आवास व्यवस्था होने तक भवन में ठहरते है, उनसे वही आवास किराया लिया जायेगा जो कि केन्द्र शासन/दिल्ली प्रशासन द्वारा उन्हें दिया जाता है।

(2) राज्य शासन के ऐसे अधिकारी जो आयुक्त के कार्यालय में पदस्थ है और सेवा अवधि पूर्ण होने पर वापस राज्य में स्थानांतरित हो जाते है उन्हें यदि भवन में कक्ष आबंटित किया गया हो तो उन्हें स्थानांतरण के बाद अधिकतम दो माह तक कक्ष रखने की पात्रता होगी। इसके बाद उन्हें परिशिष्ट – 3 में दर्शायी गई दरों पर किराया देय होगा।

नियम 8 : अन्य व्यक्तियों का अधिवास – उपरोक्त नियम 4 से 7 में सम्मिलित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भवन में स्थान उपलब्धता के आधार पर आयुक्त के आदेश पर अधिकतम तीन दिन की अवधि के लिए कक्ष दिया जा सकेगा। इन व्यक्तियों से परिशिष्ट – 3 में दर्शायी गई दरों पर शुल्क अग्रिम लिया जावेगा। इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिये राज्य शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए दो गुना शुल्क अग्रिम देय होगा।

नियम 9 : विशिष्ट प्रकरणों में शुल्क माफ – राज्य शासन विशिष्ट प्रकरणों में भवन के शुल्क में छूट दे सकता है।

नियम 10 : अनाधिकृत अधिकारी का निष्कासित करने की शक्ति – यदि कोई अधिवासी अनाधिकृत रूप से भवन में ठहरा हुआ है। तो आयुक्त के निर्देश पर उससे कक्षा खाली कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे अधिवासी से उसकी सम्पूर्ण अधिवास की अवधि के लिए परिशिष्ट – 3 में दर्शाई गई दरों से दो गुनी दर पर शुल्क लिया जा सकेगा।

नियम 11 : अधिवास के लिए आरक्षण एवं आगंतुक रजिस्टर – (1) परिशिष्ट – एक तथा दो में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की सूचना/आवेदन कार्यालय प्रभारी के माध्यम से भवन के स्वागत कक्ष में दी जावेगी। अन्य व्यक्तियों द्वारा आयुक्त अथवा सामान्य प्रशासन विभाग को (जैसी स्थिति हो) अनुमति के लिए आवेदन किया जायेगा। अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में भवन के स्वागत कक्ष को सूचना दी जावेगी।

(2) भवन के स्वागत कक्ष में आरक्षण पंजी संधारित रहेगी जिसमें परिशिष्ट एक या दो में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण की सूचना या दूरभाष पर संदेश प्राप्त होने एवं अन्य व्यक्तियों के

संबंध में आयुक्त/सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर पंजी में इन्द्राज किया जावेगा।

(3) परिशिष्ट – एक में सम्मिलित ऐसे अतिथि जिनके पूर्व आवेदन पर कक्ष आरक्षित किया गया हो, तो उन्हें अतिथियों के मुकाबले अधिवास का प्रथम अधिकार होगा, परन्तु परिशिष्ट – एक से सरल क्रमांक 1 से 11 तक के अतिथियों को निम्नक्रम के अतिथियों के लिए आरक्षित कक्ष आंबटित कक्ष आबंटित किया जा सकेगा। कक्ष उपलब्धता के आधार पर ही दिया जा सकेगा।

(4) भवन का स्वागतकर्ता परिशिष्ट – 4 में निर्धारित प्रारूप में ''आगंतुक'' रजिस्टर (विजिटर्स बुक) संधारित करेगा, सभी अतिथियों के लिए आगमन तथा प्रस्थान के पूरे ब्यौरे अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति के नाम से कमरा आरक्षित है, उसके या उसके परिवार के अलावा यदि अन्य कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम व ब्यौरे भी आंगतुक पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। सभी अधिकारियों को दायित्व है कि रजिस्टर में पूर्ण विवरण भरें।

नियम 12 : भोजन व्यवस्थाएं – भवन में निर्धारित शुल्क पर भोजन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। किचिन में तैनात कर्मचारी भोजन का निर्धारित शुल्क लेने के हकदार होगें। भोजन दरों की सूची कमरों में, स्वागतकर्ता व किचिन में उपलब्ध रहेगी। रूम सर्विस पर 10 प्रतिशित अधिभार लगेगा, विशेष भोजन सामग्री की पूर्ति के लिए चार्ज अलग से लिया जायेगा। भोजन के लिए दिये गये आर्डर के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा, भले ही भोजन प्राप्त किया हो अथवा नही।

नियम 13 : एस0टी0डी0 टेलीफोन सुविधा – भवन के प्रांगण मे स्थापित पी0सी0ओ0 में एस0टी0डी0 फोन कॉल की सुविधा है। भवन में उपलब्ध एस0टी0डी0 सुविधा का उपयोग अतिथि द्वारा किया जा सकता है, इस सुविधा के उपयोग करने पर अतिथि को बिल प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका नगद भुगतान किया जायेगा।

नियम 14 : अतिरिक्त बिस्तर प्रदाय – अधिवासी के निवेदन पर उपलब्धता के आधार पर कक्ष में प्रत्येक 24 घंटे या उसके मात्र (Part) के लिए रूपये 100 प्रतिदिन प्रति बिस्तर के हिसाब से उसके परिवार के सदस्यों के लिए बिस्तर प्रदाय किया जावेगा।

नियम 15 : टूट फूट का परिणाम – सभी प्रकार की टूट फूट के लिए वस्तु की कीमत तथा उस पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित अतिथि से लिया जायेगा।

नियम 16 : अन्य शर्त – भवन का कोई फर्नीचर या अन्य कोई वस्तु अपने स्थान से नहीं हटाई जायेगी।

नियम 17 : बैठक (मींटिग) की व्यवस्था – भवन के भूतल में उपलब्ध कक्ष (40 प्रतिशत) सरकारी बैठक के लिए आवासीय आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्य मामलों में बैठक कक्ष का शुल्क रूपये 5000/– प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा। यह शुल्क अग्रिम में जमा करना होगा। बैठक में चाय/कॉफी खाद्य पदार्थ एवं पेय सामग्री का उपभोग करने पर निर्धारित दर पर शुल्क अलग से लिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
उप सचिव

परिशिष्ट – 1
(देखे नियम – 4)

- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/उप मुख्यमंत्री/विधानसभा अध्यक्ष
- मंत्री/छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता
- राज्यमंत्री/छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/प्रमुख लोकायुक्त
- उपमंत्री/महाधिवक्ता
- मानव–अधिकार आयोग के अध्यक्ष (छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष)
  छत्तीसगढ़ माध्यथतम अभिकरण के अध्यक्ष राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष
  उच्च न्यायालय के निबंधक
- विधायक
- मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयुक्त/मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारी (छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अभिकरण के उपाध्यक्ष)/ लोकायुक्त
- प्रमुख सचिव तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पुलिस महानिर्देशक तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी
- राज्य शासन के सचिव तथा उसके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवा के सचिव या उच्च स्तर के समकक्ष अधिकारी/संभागीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य
- छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव/राज्य शासन के अपर सचिव एवं उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी अतिरिक्त रजिस्ट्रार /रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय/कलेक्टर/उप पुलिस महानिरीक्षक
- पुलिस अधीक्षक/छत्तीसगढ़ विधानसभा के अपर सचिव/राज्य शासन के उपसचिव (जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के न हो
- राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथ प्रबंध संचालक, मंडलों/आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य
- छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति/ छत्तीसगढ़ के जिला पंचायतों के अध्यक्ष/ छत्तीसगढ़ के नगर निगमों के महापौर
- राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपसचिव, कनिष्ठ न्यायिक सेवा के अधिकारी
- राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, कनिष्ठ न्यायिक सेवा के अधिकारी

परिशिष्ट – दो
(देखे नियम –5)

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो निर्धारित शर्तो पर अवकाश या निजी कार्य से प्रवास पर भवन के अधिवास के हकदार हैः

सं0 क्र0	प्रवर्ग	अधिवास की शर्ते एवं शुल्क की दरें
1.	छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों के राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो।	(अ) एक कैलेण्डर माह के तीन दिन के लिये निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी इससे अधिक ठहरने पर अगले चार दिन तक रूपये 200/– प्रतिदिन तथा उसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जावेगा।
2.	निम्नलिखित पदों से सेवानिवृत्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अभिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त	
3.	छत्तीसगढ़ के विधायकगण	उपरोक्त सरल क्रमांक – 1 के अनुसार
4.	छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद एवं विधायक	एक कैलेण्डर माह में तीन दिन रूपये 100/– प्रतिदिन तथा उसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर 1 वर्ष में तीन बार
5.	छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	उपरोक्त सरल क्रमांक – 4 के अनुसार
6.	राज्य शासन के अधिकारी जो या जिनके परिवार संचालक चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सीय परीक्षण/इलाज कराने के लिए आये हो या अवकाश पर हो।	उपरोक्त सरल क्रमांक – 1 के अनुसार
7.	राज्य शासन के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो केन्द्र शासन या राज्य शासन की किसी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हो अथवा निजी कार्य से दिल्ली आये हो	उपरोक्त सरल क्रमांक – के अनुसार किन्तु वर्ष में तीन बार
8.	शासकीय कार्य हेतु केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्य शासन के अधिकारी	प्रत्येक अवसर पर प्रथम तीन दिवस के लिए रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से अगले चार दिवस रूपये 1000/– प्रतिदिन की दर से और उसके पश्चात् रूपये 2000/– प्रतिदिन की दर से शुल्क लिया जाऐगा।
9.	परवीर चक्र, महावीर चक्र, पुलिस गैलेन्टरी अवार्ड उपरोक्त सरल क्रमांक – 4 एवं अशोक चक्र से सम्मानित एवं 5 के अनुसार किन्तु छत्तीसगढ़ के निवासी सैनिक वर्ष में दो बार	

टीपः– परिशिष्ट क्रमांक 1 में उल्लेखित व्यक्तियों की मांग पूर्ति के बाद उपरोक्त व्यक्तियों की पात्रता होगी।

परिशिष्ट – तीन
(किराये की दरें)

अनु0 क्र0	भवन का नाम	कक्ष की श्रेणी	किराये की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्तीसगढ़ भवन	(1) कक्ष	रूपये 1000/–
2.		(i) Dormitory	रूपये 100/–

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

संशोधन

दिनांक 29 नवम्बर, 2006

क्रमांक एफ8–5/2003/1/5 : राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 के नियम – 5 विशेष श्रेणी के अतिथियों के अधिवास से संबंधित परिशिष्ट – (दो) के सरल क्रमांक – 3 के कालॅम –3 के लिए अधिवास की शर्ते एवं शुल्क की निर्धारित दरों में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :–

सरल क्रमांक	प्रवर्ग	वर्तमान में निर्धारित शर्तों एवं शुल्क की दरें	संशोधित शर्ते एवं शुल्क की दरें
01	02	03	
3.	छत्तीसगढ़ के विधायकगण	(अ) एक कैलेण्डर माह के तीन दिन के लिए निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी इससे अधिक ठहरने पर अगले चार दिन तक रूपये 200/– प्रतिदिन तथा उसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जाएगा। (ब) उपरोक्त सुविधा एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम छः अवसरों पर दी जाएगी, इसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जावेगा।	(अ) एक कैलेण्डर माह में चार दिन के निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी। इससे अधिक ठहरने पर अगले तीन दिन तक रूपये 200/– प्रतिदिन तथा उसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जाएगा। (ब) उपरोक्त सुविधा एक कैलेण्डर में अधिकतम 09 (नौ) अवसरों पर दी जाएगी। इसके बाद परिशिष्ट – 3 में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जाएगा।

2/ उपरोक्त संशोधित अधिवास की शर्ते एवं शुल्क की दरें केवल सरल क्रमांक 3 के लिए हैं। परिशिष्ट के शेष सरल क्रमांक 1, 2 एवं 04 से 09 तक के लिए अधिवास की शर्ते एवं शुल्क की दरें पूर्वानुसार रहेंगी।

3/ उक्त संशोधन हेतु वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक 810/सी.एन.10315/बजट–5/वित्त/चार, दिनांक 16.10.2006 द्वारा सहमति दी गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0 आर0 सेजकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2009

क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 के नियम 4 के उप नियम (4) में वर्तमान प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य और जोड़ता है:–

"ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक अतिथि को कक्ष के निर्धारित किराये का पृथक–पृथक भुगतान करना होगा"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2009

प्रतिलिपि:–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमांक: 2

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुरए
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,
- मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर,
- निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र मंत्रालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(क्षेत्र सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

क्रमांक 755/920/2010/1/5 रायपुर, दिनांक 08 जून, 2010

प्रति,

आवासीय आयुक्त,
छत्तीसगढ़ भवन,
नई दिल्ली।

विषयः– श्री राजेन्द्र सिंग, जल प्रबंधन विशेषज्ञ को छत्तीसगढ़ भवन में अधिवास सुविधा दिए जाने बाबत्।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गठित की जाने वाली समिति में श्री राजेन्द्र सिंग, जल प्रबंधन विशेषज्ञ (मेगासेसे अवार्ड विजेता) को उपाध्यक्ष बनाया जाना है।

2/ अतः आदेशानुसार निवेदन है कि श्री राजेन्द्र सिंग को छत्तीसगढ़ से संबंधित कार्य होने पर दिल्ली प्रवास के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ भवन में अधिवास एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक /920/2010/1/5 रायपुर, दिनांक 08 जून, 2010

प्रतिलिपिः–

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
- सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर को उनकी टीप क्रमांक 693, दिनांक 14.05.2010 के संदर्भ में,
- संयुक्त सचिव (प्रोटोकॉल) मंत्रालय, रायपुर,
- मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 04 फरवरी, 2010

क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

नियम 5 के परिशिष्ट–2 की सूची में सरल क्रमांक – 2 के समक्ष कॉलम – 2 में वर्तमान में उल्लिखित प्रवर्गों की अंतिम प्रविष्टि अर्थात ''राज्य निर्वाचन आयुक्त'' के पश्चात् ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त'' और जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 04 फरवरी, 2010

प्रतिलिपिः–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमांकः 2

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुरए
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

(क्षेत्र सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल, 2010

क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

नियम 4 के परिशिष्ट–1 की सूची में सरल क्रमांक – 10 में दर्शित अंतिम प्रविष्टि ''लोकायुक्त'' के पश्चात् ''उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण'' को और जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपिः–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमांकः 2

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुरए
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2010

क्रमांक एफ 8–14/2010/1–5: छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 के नियम – 4 के परिशिष्ट की सूची के सरल क्रमांक – 3 में विधान सभा अध्यक्ष के पश्चात् भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को जोड़ने के संबंध में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.11.2010 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

नियम 5 के परिशिष्ट–2 की सूची में सरल क्रमांक – 1 में ''छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों के राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो'', के पश्चात् ''भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष'' को जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–14/2010/1–5 रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2010

प्रतिलिपिः–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

निरंतरः 2

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुरए
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2010

क्रमांक एफ 8–14/2010/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

नियम 4 के परिशिष्ट–1 की सूची में सरल क्रमांक – 3 में ''विधानसभा अध्यक्ष'' के पश्चात् ''भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष'' को और जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–14/2010/1–5 रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपिः–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमांकः 2

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुरए
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 17 मार्च, 2011

क्रमांक एफ 8–3/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उक्त नियमों में परिशिष्ट 3 की सूची में अनुक्रमांक–2 के पश्चात् निम्नांकित अनुक्रमांक–3 और जोड़ा जाता है:–

अनुक्रमांक	भवन का नाम	कक्ष की श्रेणी	किराये की दर
3.	छत्तीसगढ़ भवन	कक्ष क्रमांक 201–202 को मिलाकर तैयार किया गया एक सुइट	प्रथम तीन दिवस के लिए रूपये 2000/– तत्पश्चात् प्रतिदिन दो गुना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 17 मार्च, 2011

प्रतिलिपि:–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमांक: 2

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुर,
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 01 अप्रैल, 2011

क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

परिशिष्ट – दो में स.क्र.–3 के कालम–2 में उल्लेखित प्रवर्ग के लिए परिशिष्ट–तीन के अनु.क्र. 1 के कालम (4) में अंकित ''रूपये 1000/–'' के स्थान पर ''रूपये 500/–'' प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 01 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपिः–

- शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,

क्रमांकः 2

- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुर,
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
- निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//आदेश//

रायपुर, दिनांक अगस्त, 2011

क्रमांक एफ 3–8/09/1–एफ (पार्ट–26): राज्य शासन एतद्द्वारा **मान0 श्री अजय चन्द्राकर, अध्यक्ष,** द्वितीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ को ''**केबिनेट मंत्री का दर्जा**'' प्रदान करता है।

2/ उक्त ओदश, जारी करने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.के. टोप्पो)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक 3–8/09/1–एफ (पार्ट–26) रायपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2011

प्रतिलिपिः–

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
2. समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ मंत्रालय,
7. मान0 श्री अजय चन्द्राकर, अध्यक्ष, द्वितीय राज्य वित्त आयोग, रायपुर,
8. सचिव, छ0ग0 राज्य वित्त आयोग, रायपुर।
9. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–6) मंत्रालय,
10. निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. आर्डर बुक,

अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2011

क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

(1) नियम 4 के परिशिष्ट–1 की सूची में,
सरल क्रमांक–6 के पश्चात् सरल क्रमांक –6 अ ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' तथा सरल क्रमांक–10 के पश्चात् 10 अ ''राज्य सूचना आयुक्त'' और जोड़ा जाता है।

(2) नियम 5 के परिशिष्ट–2 की सूची में,
सरल क्रमांक–2 के कालम–2 में ''छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशा'' के पश्चात् ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 05 अक्टूबर, 2011

प्रतिलिपिः–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
8. आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमांकः 2

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
13. उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण,
    उपाध्यक्ष, सरगुग एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा
    उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण,
14. निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
16. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियम में,

नियम 4 के परिशिष्ट–1 की सूची में **सरल क्रमांक–6 अ** को विलोपित किया जाता है एवं **सरल क्रमांक–3** में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश'' के पश्चात् ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 8–5/2003/1–5 रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपिः–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
8. आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,

क्रमांकः 2

11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
13. उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण,
    उपाध्यक्ष, सरगुग एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा
    उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण,
14. निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
16. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग